



INDIA NON JUDICIAL
Government of Uttar Pradesh
e-Stamp

[Handwritten signature]
बेनामा

Certificate No. : IN-UP49938406884319T
Certificate Issued Date : 18-Mar-2021 05:22 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14316004/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1431600487180040551824T
Purchased by : SULTAN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : MAUJA-BAGBIJAISI PAR-HAVELI AWADH TEH-SADAR DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : KUSUM PATHAK WO HARISH KUMAR PATHAK URF BAB HARDAS
Second Party : SULTAN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Stamp Duty Paid By : SULTAN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 40,23,920
(Forty Lakh Twenty Three Thousand Nine Hundred And Twenty only)



[Handwritten signature]
E Stamp
Verify

E Stamp
LOCKED

.....Please write or type below this line.....

कौश मपाठ क
कौश मपाठ क
हरी 21 पाठक
हरी 21 पाठक
रविप्रोहन निवारण
रविप्रोहन निवारण

Sultan Ansari
Sultan Ansari
0001685004

[Handwritten signature]
पदनाम :
सुमन शर्मा



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP49949992722046T
Certificate Issued Date : 18-Mar-2021 05:34 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/up14140504/ AYODHAYA SADAR/ UP-FZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1414050487247071324302T
Purchased by : SULATN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : MAUJA-BAGBIJASISI PAR-HAVELI AWADH TEH-SADAR DISTT-AYODHYA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : KUSUM PATHAK WO HARISH KUMAR PATHAK URF BABAHARDAS
Second Party : SULATN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Stamp Duty Paid By : SULATN ANSARI SO IRFAN ANSARI
Stamp Duty Amount(Rs.) : 34,840
(Thirty Four Thousand Eight Hundred And Forty only)



Stamp
Verify

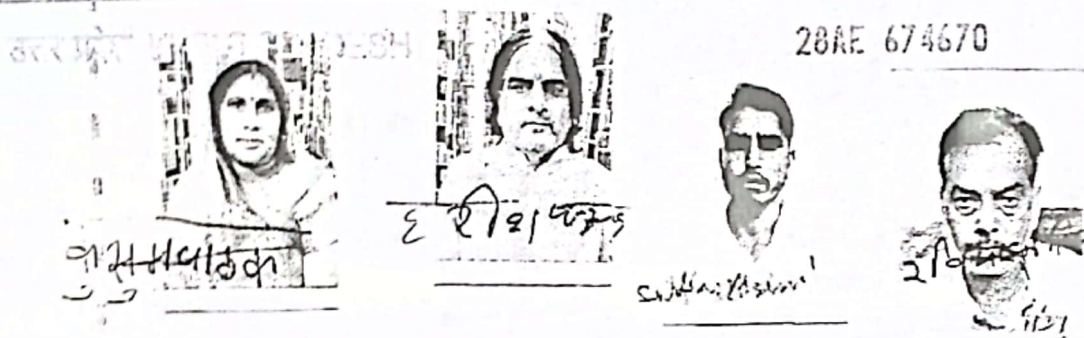
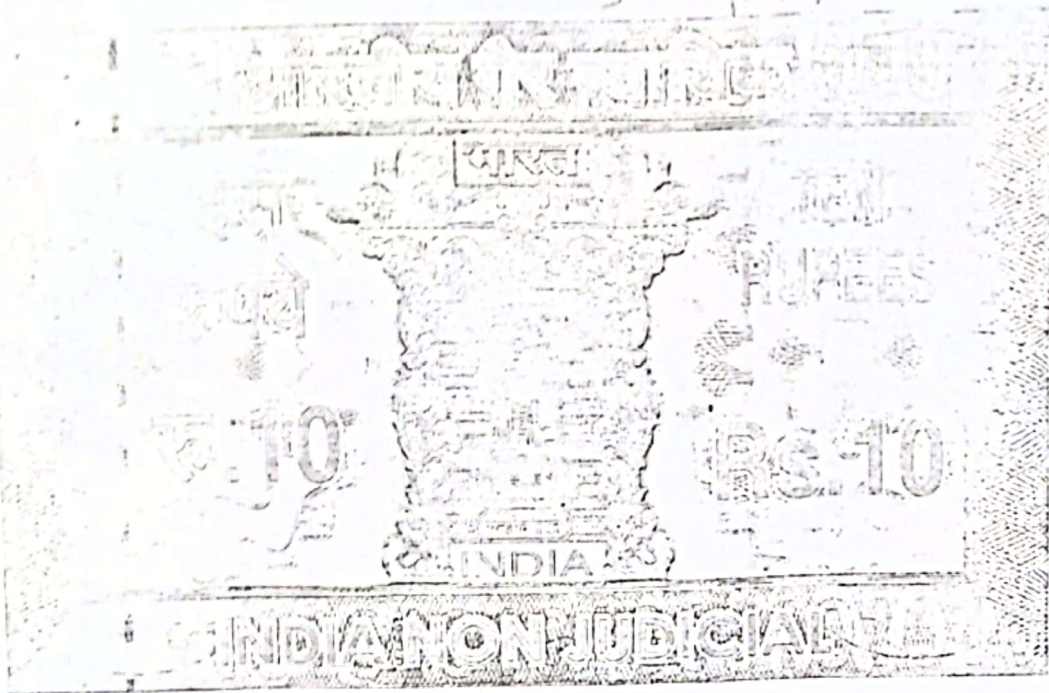
E Stamp
LOCKED

Please write or type below this line

कुसुम पाठक
कुसुम पाठक
हरीश पाठक
शिव मोहन तिवारी
शिव मोहन तिवारी
Sulatan Ansari
Sulatan Ansari
0000878849

Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp Certificate should be verified from the official website using the Stamp Certificate Lock Holding. Any discrepancy in the details in this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The need of affixing the signature of the user of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

लेखपत्र का प्रकार - बैनामा

निष्पादन दिनांक - 10-3-2024

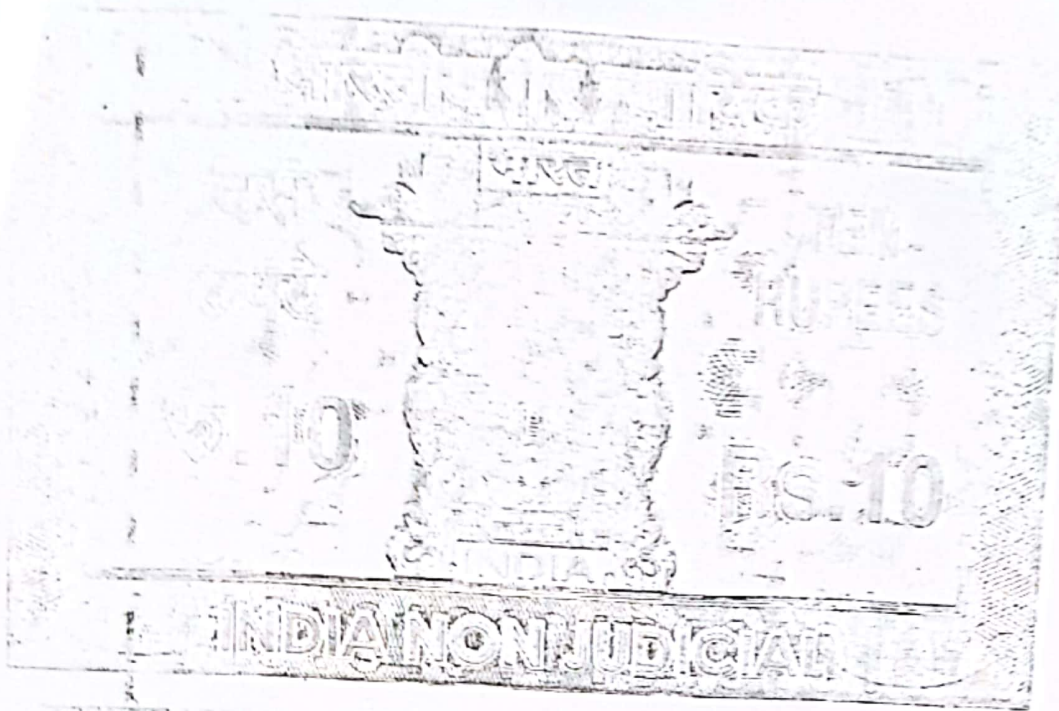
निष्पादन स्थान - उपनिबंधक कार्यालय सदर अयोध्या

विक्रय मूल्य - 2,00,00,000/- गालियत - 5,79,84,000/- स्टाम्प

40,58,930/-

कुसुम पाठक
कुसुम पाठक

हरीश चंद्र
हरीश चंद्र
Sulham Arjun
Sulham Arjun
शिव प्रसाद तिवारी
रवि प्रसाद तिवारी



28AE 674671

1. भूमि की अवस्थिति (नगरीय/ अर्द्धनगरीय/ विकासशील/ ग्रामीण)-
नगरीय
2. सम्पत्ति का प्रकार (कृषि/ आवासीय/ व्यवसायिक)- आवासीय प्लॉट
3. स्थिति ग्राम - बाग बिजैसी
4. परगना - हवेली अवध
5. तहसील - सदर
6. जिला - अयोध्या (फैजाबाद)
7. सम्पत्ति का विवरण व गाटा संख्या - 243, 244, 246

कुसुमपाठक

कुसुमपाठक

हरीश चन्द्र

रवि मोहन शर्मा
रवि मोहन शर्मा
पता :
मोबा :

Sultham Angwal
Sultham Angwal



REGISTRATION P-ADESH

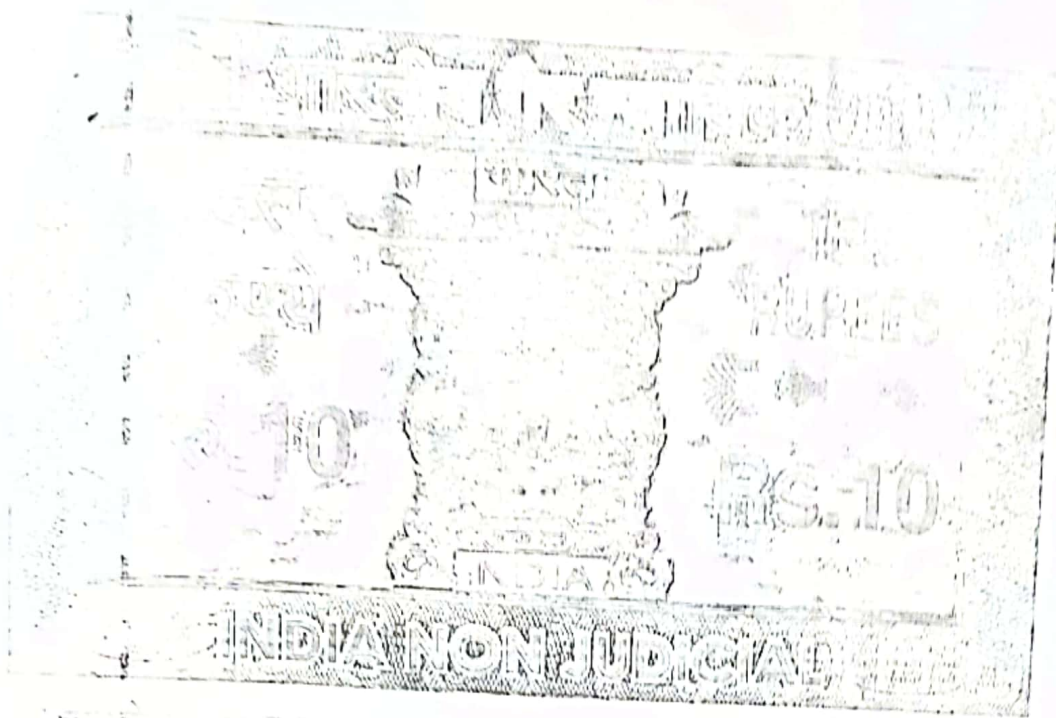
28AE 674672

8. खात संख्या
9. गाटा संख्या यूनीक आई डी नम्बर- नहीं
10. मापन इकाई - वर्ग मीटर
11. विकृति सम्पत्ति का क्षेत्रफल - 12080 वर्ग मीटर यानी 1208 हेक्टेयर
12. सेगमेंट रोड/सड़क/खडंजा/चकमार्ग/ की स्थिति (परिशिष्ट के अनुसार) - कोई मार्ग नहीं
13. अन्य विवरण (9 मीटर रोड कार्नर इत्यादि) - नहीं

कुसुम पाठक हरिप्रसाद सोनपाठक

कुसुम पाठक

रविप्रसाद सोनपाठक
रविप्रसाद सोनपाठक
Sulthan Hassan
Sulthan Hassan



UTTAR PRADESH

28AE 674673

14. सन्यति का कुल क्षेत्रफल (बहुमंजिला भवन की स्थिति) - नहीं
15. कुल आच्छादित क्षेत्रफल - नहीं
16. स्थिति (फिनिस्ड/सेमीफिनिस्ड/अन्य) - नहीं
17. पेड़ों का मूल्यांकन - नहीं
18. बोरिंग, कुआ, अन्य - नहीं
19. निमित्त क्षेत्रफल - नहीं
20. निर्माण का वर्ष - नहीं
21. सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है - नहीं

कुसुमपाठक

कुसुमपाठक

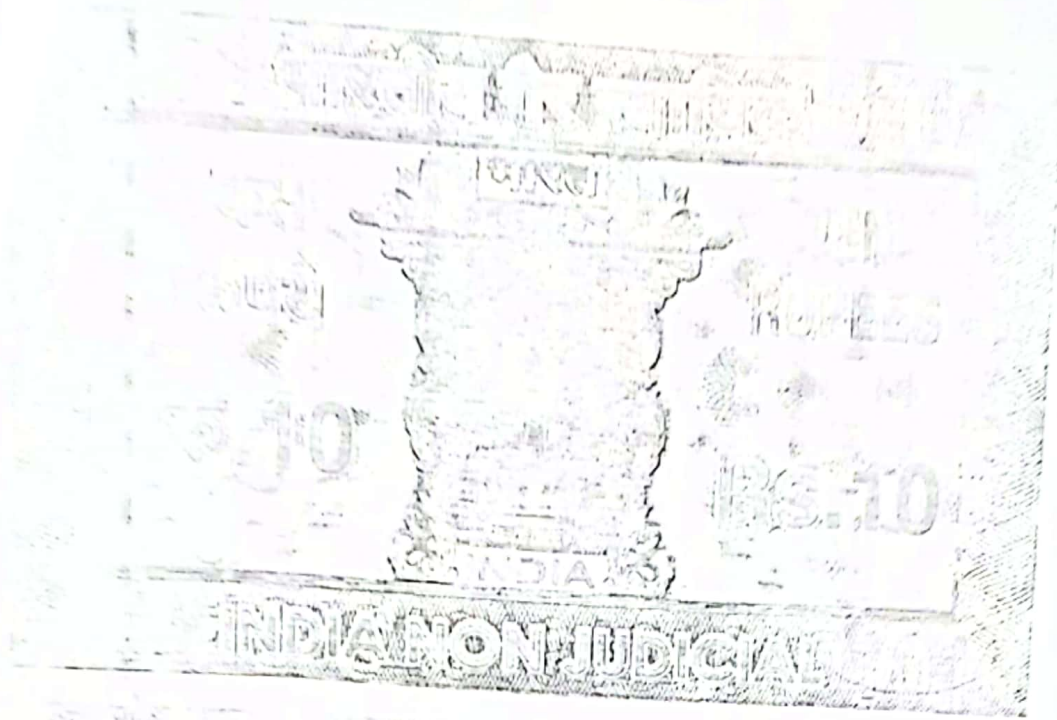
हस्ताक्षर

रविमोहन तिवारी

रविमोहन तिवारी

Sudhan Ansari

Sudhan Ansari



28AE 674674

22. विक्रीत सम्पत्ति अन्तरण से सम्बन्धित किसी न्यायालय से स्थगन,
आदेश नहीं है - नहीं
23. अकृषक भूमि की दशा में 50 मीटर त्रिज्या में व्यवसायिक
गतिविधियां है कि नहीं - नहीं
24. कृषक भूमि की दशा में 200 मीटर त्रिज्या में
आवासीय/व्यवसायिक गतिविधियां है या नहीं - नहीं
25. विक्रेता अनुसूचित जाति / जनजाति का है या नहीं - नहीं
26. विक्रीत सम्पत्ति नगर निगम के अन्दर है या बाहर - अन्दर
27. विक्रीत भूमि इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के अन्दर है या बाहर - अन्दर

कुशुमपाठक
कुशुमपाठक

इरी 2 पाठक
2 मोहन पारी
2 मोहन पारी
2 मोहन पारी

28. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक
01/08/2017 के पृष्ठ संख्या ग्राम कोड कालम 2 में निर्धारित दर
रुपया - 4800/- वर्ग मीटर X 12080 = 5,79,84,000/-

प्रथम पक्ष निम्नवत अभिकथन करता है :-

क-उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई ऋण कर एवं अन्य प्रभार दबाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादस्पद है। ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। घ- विक्रीत भूमि पर कब्जा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है। ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भारों और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। भूमि स्वामित्व सम्बन्धी त्रुटि के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा। च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेंगे। छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष किसी को भी हस्तान्तरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

कुसुमपाठक 22/8/2017

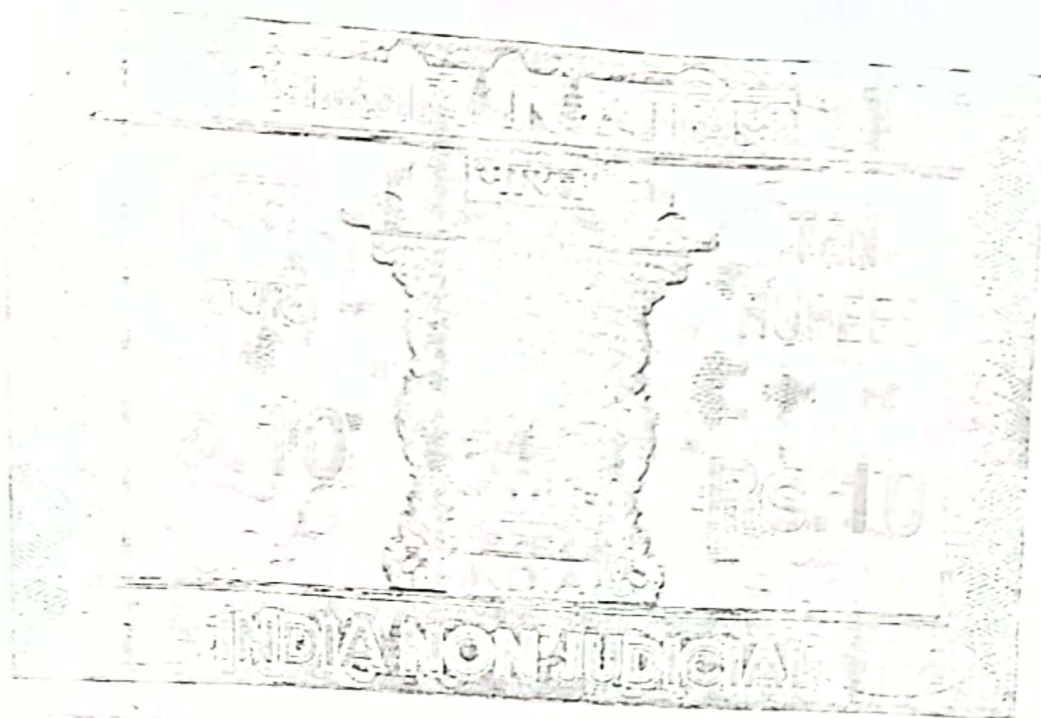
कुसुमपाठक

2 विमोहन शर्मा
2 विमोहन शर्मा

2 विमोहन शर्मा
Sunder Anand

कुसुमपाठक

1



28AE 674675

28. जिलाधिकारी महोदय द्वारा जारी मूल्यांकन सूची प्रभावी दिनांक

01/08/2017 के पृष्ठ संख्या ग्राम कोड कालम 2 में निर्धारित दर

रुपया - 4800/- वर्ग मीटर X 12080 = 5,79,84,000/-

प्रथम पक्ष निम्नवत अभिकथन करता है :-

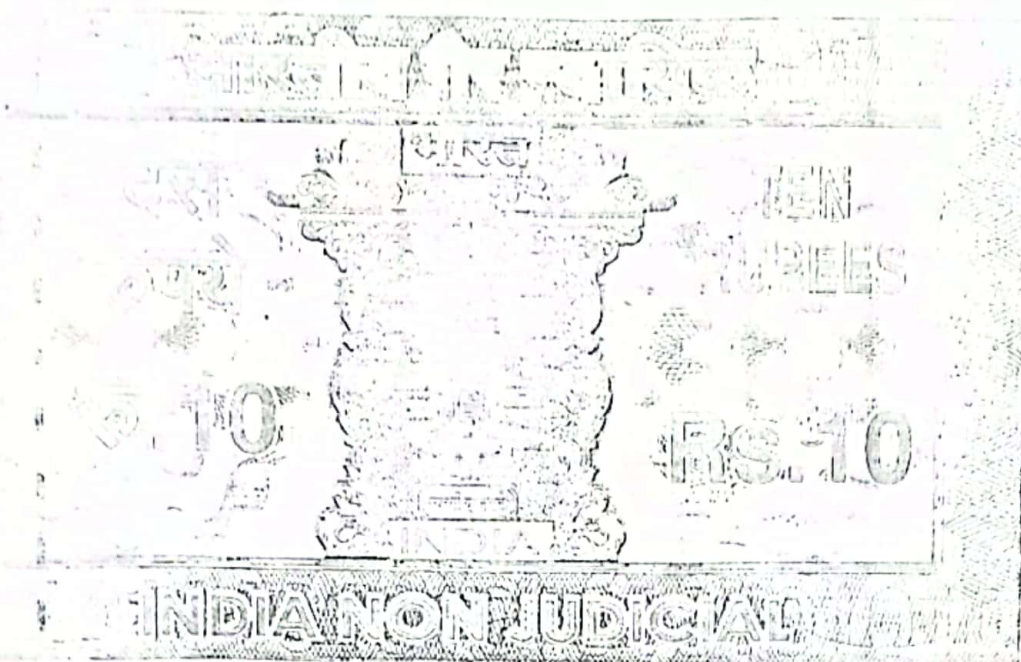
क-उक्त सम्पत्ति प्रथम पक्ष के पूर्ण रूप से कब्जे एवं स्वामित्व में है जिस पर कोई कृण कर एवं अन्य प्रभार दफाया नहीं है और न ही किसी अदालती कार्यवाही में विवादित है। ख- प्रथम पक्ष ने इससे पूर्व उक्त भूमि को किसी अन्य को विक्रय, दान, बंधक या अन्य प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया है। ग- प्रथम पक्ष को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। घ- विक्रीत भूमि पर कच्चा द्वितीय पक्ष को दे दिया गया है। ङ- विक्रीत भूमि सभी प्रकार के भूत और प्रभारों से मुक्त है। इस विक्रय पत्र के दिनांक से पूर्व समस्त प्रभारों का दायित्व प्रथम पक्ष का तथा भविष्य में उत्पन्न प्रभार का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। भूमि स्वामित्व सम्बन्धी कृति के लिए प्रथम पक्ष उत्तरदायी होगा। च- इस विक्रय पत्र के निष्पादन की तिथि से भूमि का स्वामित्व द्वितीय पक्ष में निहित हो गया है एवं वह स्वयं, उसका उत्तराधिकारी, वारिस इसका उपयोग एवं उपभोग अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे, जिसमें प्रथम पक्ष, उसके उत्तराधिकारी एवं वारिस किसी प्रकार की बाधा नहीं लाएंगे। छ- इस विक्रय पत्र की निष्पादन की तिथि से द्वितीय पक्ष किसी को भी हस्तांतरित करने एवं इच्छानुसार उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है।

कुसुम पाठक 22/8/2017

कुसुम पाठक

2 विमोहन शर्मा
2 विमोहन शर्मा
Sudhan Anand
Sudhan Anand

22/8/2017



भारत के उत्तर प्रदेश

28AE 674676

द्वितीय पक्ष अभिकथन करता है कि :- द्वितीय पक्ष ने उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में सभी आवश्यक परीक्षण कर लिया है और यह उक्त अचल सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष के स्वामित्व/मालिकाना हक के सम्बन्ध में पूर्णतः संतुष्ट है।

1) अंतरित भूमि / गाटा संख्या महायोजना में प्रस्तावित उपयोग; पार्क, हरित पट्टिका आदि में सार्वजनिक महत्व के प्रकृति का नहीं है।

2) अंतरित भूमि / गाटा संख्या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, पट्टन विभाग अथवा अन्य किसी शासकीय विभाग के अंतर्गत अधिग्रहण के प्रक्रिया से मुक्त / बाहर है।

3) महायोजना के विरुद्ध निर्माण किए जाने की दशा में अथवा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत कोई भी तथ्य पाए जाने पर ध्वस्तीकरण सहित समस्त विधिक कार्यवाही हेतु क्रेत उतरदायी होगा।

चौहद्दी -

पूरब - भूमि विक्रेता

पश्चिम - बाग राम करण अदि

उत्तर - परती नजूल

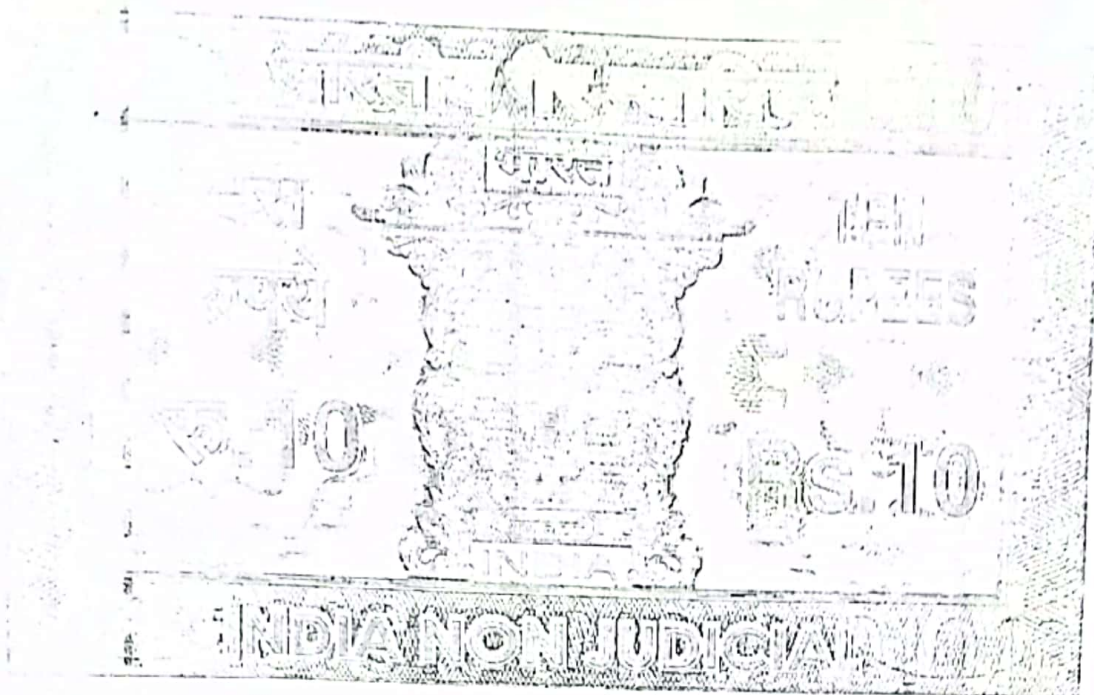
कुशुमपाठक हरिश्चंद्र

कुशुमपाठक

रवि नंदन झा Sushma Anand
रविशंकर झा Sushma Anand

4/1/2018
सुभाष चंद्र

हरी 2 10 12



उत्तर प्रदेश

28AE 674677

दक्षिण - तिलैया नाल

प्रथम पक्ष की संख्या - 2

द्वितीय पक्ष की संख्या - 1

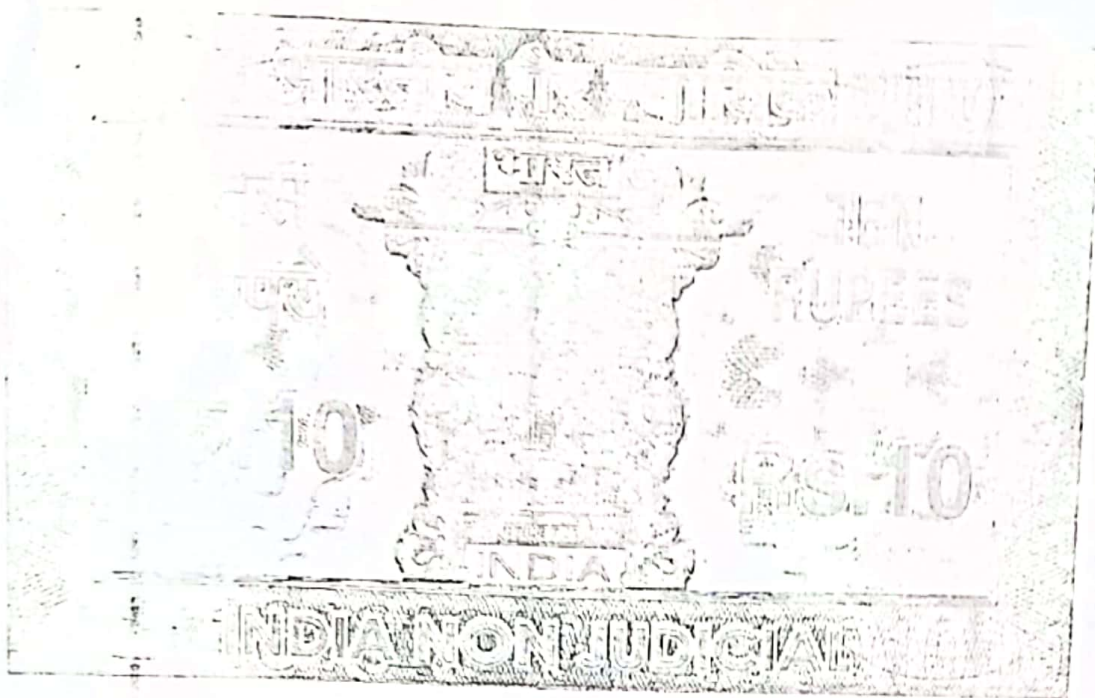
नाम प्रथम पक्ष (विक्रेता) - श्री मती कुसुम पाठक पत्नी हरीश कुमार
पाठक उर्फ बाबा हरीदास व हरीश कुमार पाठक पुत्र हौसिला प्रसाद
पाठक साकिन पठका पुर तहसील हरैया जिला बस्ती (विक्रेता)

पैन AUWPP4048Bकुसुम पाठक

हरीश कुमार पाठक AJJPP3683R

कुसुम पाठक
कुसुम पाठक

हरीश पाठक : विक्रेता
रामेश्वर
Subram Anand
Subram Anand
हरीश पाठक



28AE 674678

नाम द्वितीय पक्ष (क्रेता) - सुल्तान अंसरी पुत्र इरफ़ान अंसरी निवासी
सूतहटी कटरा जिला अयोध्या (क्रेता)

मो न.6393527775 पै न.ARDPA0360P

2-रवि म्हेन तिवारी पुत्र श्री सीतलपति तिवारी निवासी जयसिंह पुर
सीताकुंड जिला अयोध्या मो.न.9453659006 पै न

जो कि निम्नलिखित जायदाद जो अन्दर हद इम्पूव मेंट ट्रस्ट है तथा
नगर पालिका सीमा के अन्दर है और आज तक प्रत्येक विवाद व भार
से मुक्त है के प्रथम पक्ष तनहा मालेक व लाबिज हैं प्रथम पक्ष को
अपना निम्नलिखित जायदाद बेचना है जिसे द्वितीय पक्ष खरीदना चाहते

कुसुमपाठक
कुसुमपाठक

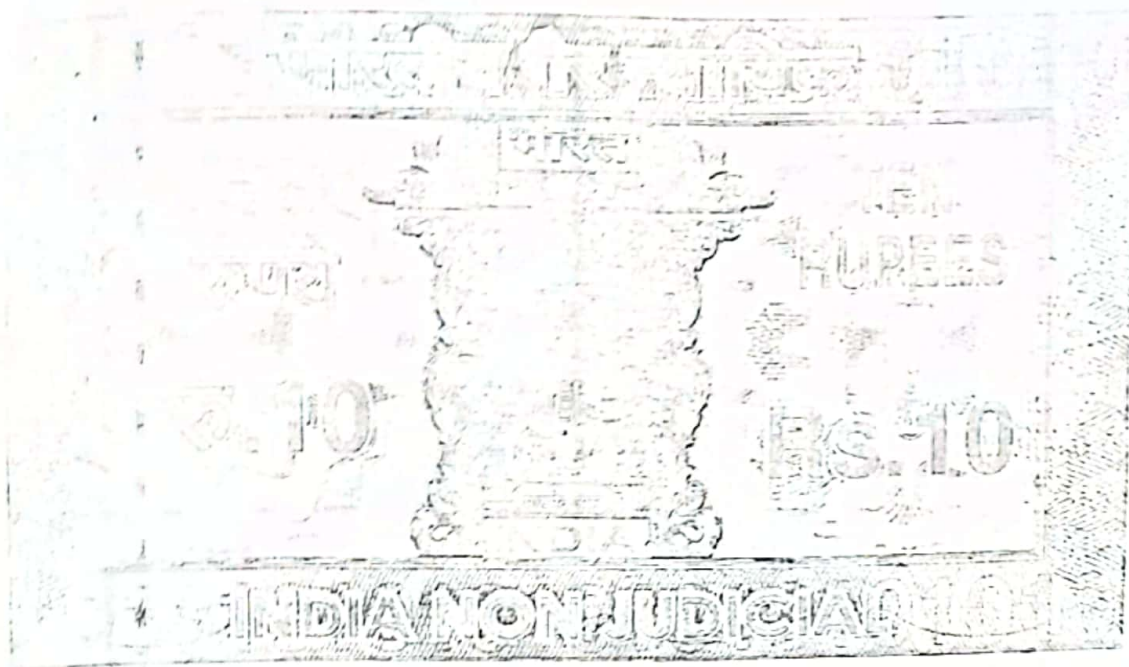
इरफ़ान, रवि मोहन मोहरी

सुल्तान अंसरी

इरफ़ान, सुल्तान अंसरी

सुल्तान अंसरी

2



UPR 177/R PRADESH

28AE 674679

हैं अतः हम उभय पक्षगण अपने अपने मन शरीर व बुद्धि से स्वस्थ रूप से रहकर जरिये तहरीर बैनामा हाजा लिखे देते हैं कि प्रथम पक्ष ने अपने निम्नलिखित जायदाद को कुल हक समेत बकीमत मुब० 2,00,00,000/- दो करोड़ रुपये में बद्दस्त उक्त द्वितीय पक्ष मजकूर वेचकर बैकतई किया तथा कुल दाम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्नलिखित रूप से प्राप्त किया कब्ज़ा व दखल आज से जायदाद मुबइया पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को अपनी भांति मालिकाना करा दिया है द्वितीय पक्ष को अधिकार है कि वह प्लाट मुबइया का मालिकाना दाखिल खारिज अपने नाम कराके उस पर हमेशा अपने उत्तराधिकारियों समेत मालिकाना लाबिज व दखील रहें या जो चाहे सो

कुसुम पाठक
कुसुम पाठक

द्वितीय पक्ष ने

Subhan Ansari
Subhan Ansari

Subhan Ansari
Subhan Ansari



भारत उत्तर प्रदेश

28AE 674680

करें, बाद तहरीर हाजा यदि बाबत दाम या हकीयत जायदाद मुबइया
पर कुछ विवाद पैदा होवे तो उसकी कुल जबाबदेही मय वापसी दाम
व हानि जिम्मे प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष हैं व होगी, अतः यह
बैनामा कामिल लिख दिया कि सन्द रहे और वक्त पर काम आवे।
तफसील जायदाद मुबइया मजकूर वाकै मौजा बाग बिजैसी परगना
हवेली अवध तहसील सदर जिला अयोध्या गांटा नम्बर 243/0.367 हे.
244/0.4050 हे. सम्पूर्ण व 246/0.5250 हे.में से 0.4360 हे. कुल
क्षेत्रफल=1.2080 हेक्टेयर यानी 12080 वर्ग मीटर वर्ग मीटर हस्व
चौहद्दी मजकूर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के हाथ बेचा है विक्रेता
अनुसूचित जाति के नहीं हैं घोषित दर से उपरोक्त अनुसार मालियत

कु सु मपाठक

कु सु मपाठक

हरीश पाण्डे

रविमोहन त्वारी Suthan Ansari

रविमोहन त्वारी Suthan Ansari

पदवाली
सुनवाली

हरीश पाण्डे

आवेदन सं०: 20210090500-4372

विक्रय पत्र

वर्ष: 2021

वही स०: ।

रजिस्ट्रेशन सं०: 3232

प्रतिफल- 200000000 स्टाम्प शुल्क- 4058900 बाजारी मूल्य - 57984000 पंजीकरण शुल्क - 579840 प्रतिनिधिकरण शुल्क - 80 योग : 579920

श्री सुल्तान अंसारी,
पुत्र श्री इरफ़ान अंसारी
व्यवसाय : अन्य
निवासी : सुटहटी कटरा जिला अयोध्या

Subtype Ans 4/1



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 18/03/2021 एवं 07.10.39

PM बज

निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० वी० सिंह
उप निबंधक सदर
अयोध्या
18/03/2021

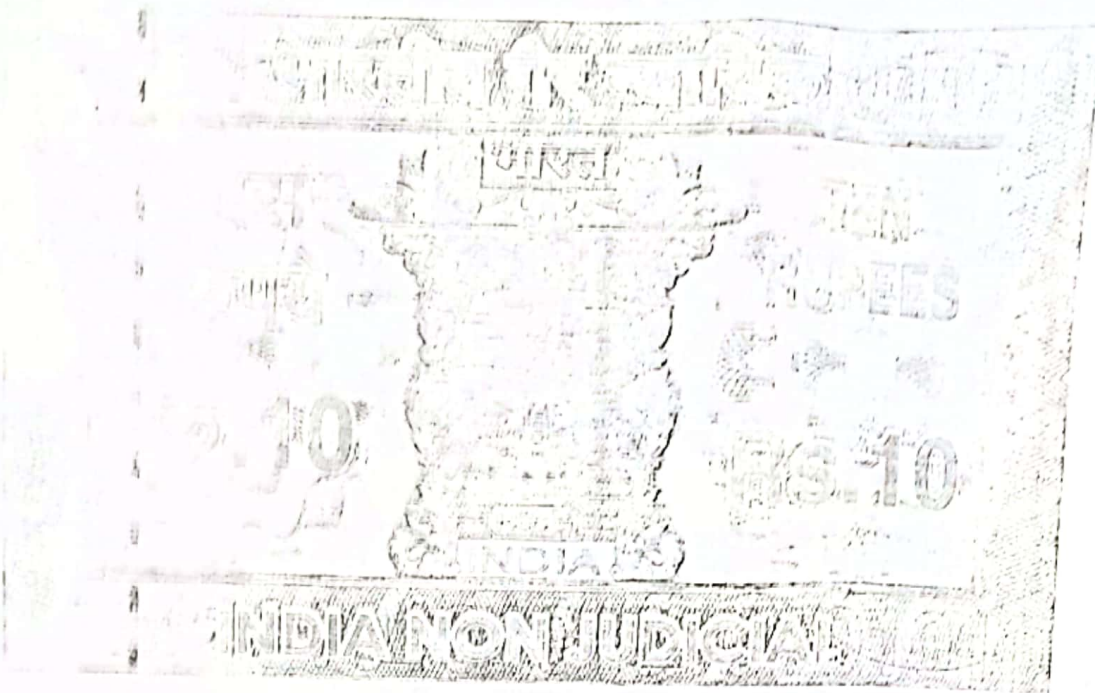
राधेश्याम...
निबंधक लिपिक

$$18\frac{3}{91}$$

18514
पतिवि...
वाप्र जेज
शमित वं.
राय दिनेश
मि ए हवः वि

18514
-10 दल

-157
मिन



भारत प्रदेश

28AE 674681

मुब 5,79,84,000/- होती है जिस पर मुब. 40,58,900/- का स्टाम्प
अदा है। ऐसे सभी तत्व जो स्टाम्प देयता को प्रभावित कर सकते है
सत्यता पूर्वक अंकित है। तर्फसील वसूलयावी जरसमन
मुब. 2,00,00,000/- जरिये आर टी जी एस यू टी आर न. प्रथम पक्ष ने
प्राप्त किया

गवाह न.1



डॉ. अनिल कुमार मिश्र
वी. जे. मिश्र

कुशमपाठक
कुशमपाठक

रविश पाठक, रविशोहन आरि
रविशोहन आरि
Sulthan Arun

रविश पाठक
&

आवेदन सं०: 202100905004372

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3232

वर्ष 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त
विक्रेता: 1

श्रीमती कुसुम पाठक, पत्नी श्री हरीश कुमार पाठक
उर्फ बाबा हरीदास

निवासी: साकिन पठकापुर तहसील हरैया जिला
बस्ती

व्यवसाय: गृहिणी

विक्रेता: 2

कुसुम पाठक



श्री हरीश कुमार पाठक, पुत्र श्री हौसिला प्रसाद
पाठक

निवासी: साकिन पठकापुर तहसील हरैया जिला
बस्ती

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1

हरीश पाठक



श्री सुल्तान अंसारी, पुत्र श्री इरफान अंसारी

निवासी: सुटहटी कटरा जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 2

Sultan Ansari



18/3/2021 श्री ऋषिकेश उपाध्याय, पुत्र श्री सीतापति तिवारी

निवासी: जयसिंहपुर सीताकुण्ड जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन प्रकाश किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

18514
रुपये



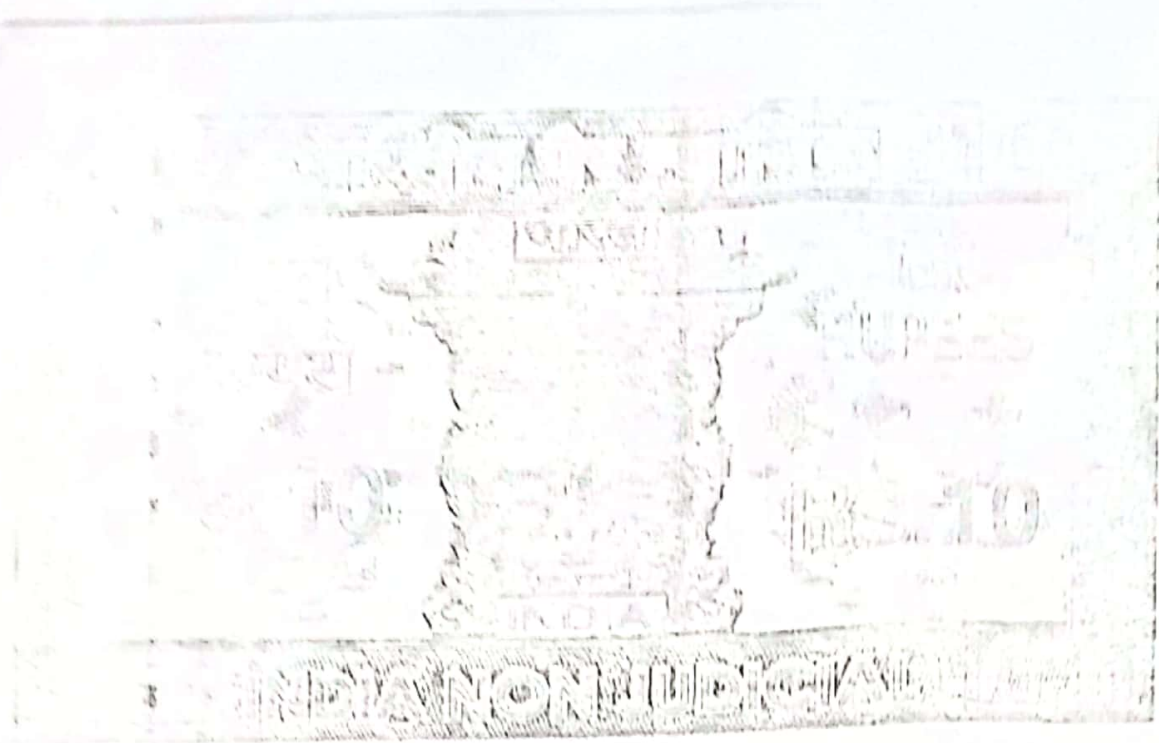
श्री ऋषिकेश उपाध्याय, पुत्र श्री लक्ष्मीदत्त उपाध्याय

निवासी: जयसिंहपुर सीताकुण्ड जिला अयोध्या

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2





भारत गणराज्य

28AE 674682

गवाह नं.2



महोदय के.डी. उपाध्याय 5/6
महोदय के.डी. उपाध्याय
अवसिंह पुर
अयोध्या

कुटुम्बिकांक
कुटुम्बिकांक

इलेक्ट्रॉनिक्स

विमोहन शिवरी
विमोहन शिवरी
Sulthan Ansari
Sulthan Ansari

२२/१२/२०२४
मुद्रांक

श्री अजित कुमार मिश्र पुत्र श्री बलदेव प्रसाद मिश्र

निवासी: लक्ष्मणपुरी कालोनी अमराठीगंज जिला
अयोध्या

ठाकुरसाय अग्र



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एमान की सिंह
उप निबंधक, सार्वजनिक
अभियोग

राधेश्याम
निबंधक लिपिक

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी:

18-3-21 18526 10
सिविल सेशन
नाम क्षेत्र
सहीत नं० 18514
समय दिनांक 18-3-21
लिपि लिखनेवाला

18-3-21